संख्या-43/2026/।/1281589/2026/001-71-2099-207-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

के0जी0एम0यू0,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27-03-2026

विषय:- के0जी0एम0यू0, लखनऊ में Diagnostic Center & Patient Relative Accommodation (P.R.A.) Facilities Block के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11215/426/योजना अनु0/2026, दिनांक 06.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में Diagnostic Center & Patient Relative Accommodation (P.R.A.) Facilities Block के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में उपचार हेतु आने वाले मरीजों की एक छत के नीचे समग्र रूप से चिकित्सा जाँचों से सम्बन्धित सुविधाएं तथा उनके तीमारदारों को समुचित अध्यासन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु Diagnostic Center & Patient Relative Accommodation (P.R.A.) Facilities Block के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में के0जी0एम0यू0 के 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 2853.18 लाख अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
2. प्रस्तावित परियोजना में निर्मित होने वाले भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. प्रायोजनान्तर्गत ए0एस0आई0, एल0डी0ए0 एवं अन्य विभागों से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु लागत रू0 20.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो न्यूनतम आवश्यकता व वास्तविकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत देय होगा।

4. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित फर्नीचर के क्रय हेतु कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति द्वारा इन कार्यमदों की आवश्यकता एवं औचित्य के परीक्षणोपरान्त जो लागत (अधिकतम आंकलत लागत सीमान्तर्गत) अनुमोदित की जायेगी एवं तद्नुसार प्रयोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी तथा इस संशोधित लागत पर व्यय समिति से अनुमोदन प्राप्त किये जाने आवश्यकता नहीं होगी।

5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 40.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये।

6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित लिफ्ट, डी0जी0 सेट, सोलर सिस्टम, सी0सी0टी0वी0, लेन सिस्टम, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम व आडियो विजुअल सिस्टम की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करे। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।

7. प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु बिड के माध्यम से संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त संस्थान एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संस्थान द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8. प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन में एयर कन्डीशनिंग (432 एच0पी0) का प्रावधान किया गया है। के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा रेक्रिरिंग एक्सपेन्डीचर के दृष्टिगत न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ए0सी0 का कार्य कराया जाये।

9. के0जी0एम0यू0 के अन्तर्गत पूर्व संचालित ट्रामा सेन्टर के निकट ही सन्दर्भित ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अत: के0जी0एम0यू0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जाये कि इस परियोजना के निर्माण के समय पूर्व संचालित ट्रामा सेन्टर में मेडिकल सम्बन्धी गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाये।

10. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ के0जी0एम0यू0 का होगा।
12. प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. धनरशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।
17. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
18. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
19. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
20. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

21. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 23,64,06,692 (रुपये तेईस करोड़ चौंसठ लाख छह हजार छह सौ बानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,89,11,308 (रुपये चार करोड़ नवासी लाख ग्यारह हजार तीन सौ आठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2026/I/1281589/2026/001-71-2099-207-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9. वित्त ई-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in